

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2479/2026

Nimbaram Ram S/o Kasna Ram, Aged About 34 Years, Resident
Of Loor, Police Station Ramsin, District Jalore, Rajasthan.
(At Present Lodged In Sub-Jail)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Ikbal Khan
For Respondent(s)	: Mr. Narendra Gehlot, PP Ms. Khusbhoo

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/03/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना नोसरा, जिला जालोर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 51/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 137(2), 127(4), 65(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4, 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में पीड़िता ने अपने धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी है। पीड़िता की उम्र 16 वर्ष की होना पीड़िता ने अपने बयान में बताया है। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि तितम्बा बयान में पीड़िता ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य दी है। अतः इस आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस स्टैज पर अनुसंधान के दौरान पीड़िता के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान हुए, जिसका अवलोकन किया गया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
6. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व पीड़िता के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **निम्बाराम पुत्र कसनाराम**, उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J